



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-19092025-266255  
CG-RJ-E-19092025-266255

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4097]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947

No. 4097]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर-पश्चिम रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

जयपुर, 16 सितम्बर, 2025

का.आ. 4214(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20च के खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) जिले के संबंध में राजस्थान राज्य के अजमेर तथा नागौर जिलों में “पुष्कर-मेड़ता (कत्यासनी) नई रेल लाइन परियोजना” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन मध्यस्थ के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम सं	सक्षम प्राधिकारी	जिला	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)

1.	जिला कलेक्टर, अजमेर	अजमेर	राजस्थान
2.	जिला कलेक्टर, नागौर	नागौर	राजस्थान

[फा. सं. उपरे/मुख्यालय/सं.& नि/443599200 भाग-20]

राजीव श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAYS

### [North Western Railway (Construction)]

#### NOTIFICATION

Jaipur, the 16th September, 2025

**S.O. 4214(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20 F(6) of Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the arbitrator mentioned in column (2) of the Table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the special railway project of "New BG Line of Pushkar-Merta (Katyasani) (51.346 Km.)" of Ajmer Division of North Western Railway, in the state of Rajasthan relating to District mentioned in Column (3) of the said Table for the purpose of execution, maintenance, management and operation.

**TABLE**

S. N.	Competent Authority	District	State
1	2	3	4
1	District Collector, Ajmer	Ajmer	Rajasthan
2	District Collector, Nagaur	Nagaur	Rajasthan

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XX]

RAJEEV SHRIVASTAVA, Chief Administrative Officer (Construction)